सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

टेलीफोन: 91-22-25752040-43 & 45
फैक्स: 91-22-25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

"बीटा बिल्डिंग" 9 वी मंज़िल / "BETA BLDG." 9th FLOOR,
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / i-THINK TECHNO CAMPUS,
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST),
मुम्बई - 400042 / MUMBAI – 400 042.

Tele: 91-22-25752040-43 & 45
Fax: 91-22-25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

फाइल नंबर: 67-एनटी (1)/2010-भाग-3 दिनांक: 22.9.2015

वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 09/2015

विषय: नौचालनात्मक चार्ट-संबंधी.

1. सोलास कन्वेन्शन के अध्याय 5, विनियम 19.2.2.4 में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि हर जलयान से यह अपेक्षित है कि अभीष्ट यात्रा हेतु उस पर उपयुक्त नॉटिकल चार्ट हों और नॉटिकल प्रकाशन हों. राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय (एनएचओ), देहरादून भारतीय समुद्रों हेतु नौचालनात्मक चार्ट तैयार करता है.

2. भारतीय नौचालनात्मक चार्टों को प्रयोग में लाते समय जहाजियों को यह सलाह दी जाती है कि वे भारतीय चार्टों की अधिप्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए दिसंबर, 2014 के बाद प्रकाशित चार्टों से निम्नोक्त को जांच लें.

   ए. सभी चार्टों के उल्टी तरफ नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस क्रेस्ट (बैक स्लिप के ऊपर) और मटमैले सफेद रंग में वॉटर मार्क के रूप में नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, इन्डिया शब्द लिखे होंगे.

   बी. चार्ट के पीछे की ओर एजेन्ट की मोहर लगाने के लिए जगह बनाई गई है (बैक स्लिप के ऊपर). एनएचओ के अनुसार, दिसंबर 2014 से एजेन्ट के माध्यम से लिए गए सभी चार्टों पर एजेन्ट की मोहर पर तारीख लिखा जाना अनिवार्य होगा.

   सी. नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, भारत के प्राधिकृत एजेन्टों की सूची और एनएचओ द्वारा जारी की गई पाक्षिक सूचनाएं www.dgshipping.gov.in वैबसाइट पर उपलब्ध हैं.

3. जहाजियों को यह राय दी जाती है कि वे प्राधिकृत एजेन्टों से ही भारतीय नॉटिकल चार्ट खरीदें. इन चार्टों की अनाधिकृत प्रतियां करने के संबंध में किए गए कदाचार की घटनाओं की सूचना तत्काल ही चीफ हाइड्रोग्राफर, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, भारत के कार्यालय को समस्त विवरण सहित दें.

4. इसे नॉटिकल सलाहकार, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है.

(कप्तान के पी जयकुमार)
उप नॉटिकल सलाहकार, भारत सरकार.